

कार्यालय - निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/माध्य/म.गां./अंग्रेजी माध्यम/2019-20

दिनांक:-16-06-2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)-माध्यमिक


विषय:- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" की स्थापना के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- राज्य सरकार का पत्रांक: प.04(15)शिक्षा-1/2019 दिनांक 14.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालयों के 33 विद्यालयों को प्रथम चरण में "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने की शासकीय स्वीकृति प्रासंगिक पत्र के द्वारा जारी की गई है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किए गए इन विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रारंभ किया जाएगा। इस सम्बन्ध में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की प्रति पत्र के संलग्न प्रेषित कर लेख है कि निर्देशित कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता से समयबद्ध रूप से संपादित किया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न:- यथोक्त।



(नथमल डिडेल)

आई.एस.ए.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2,5,6) विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
11. संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/प्रशिक्षण, कार्यालय हाजा।
12. उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
13. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
14. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
16. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
17. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन/संस्थापन-एबी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/ आदर्श वि./शाला दर्पण/माध्यमिक अनुभाग का प्रभाग-अ-1/मा-स प्रभाग।
18. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक)


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) योजना (स्तर प्रथम से बारहवीं तक)

- 1. प्रस्तावना:—** देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए अभी भी और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान समय वैश्वीकरण (Globalisation) का है। शिक्षा में सतत् विकास के वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण (Alignment with Global sustainable development goals) करने के लिए वैश्विक शिक्षा के विकास एजेंडा की दिशा में सतत् प्रयास करने की महती आवश्यकता है। जिसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे राज्य के विद्यार्थी वैश्विक समुदाय के साथ संरेखण कर अपना भविष्य तलाश सके। राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश होने से प्रायः देखा जा रहा है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" कक्षा एक से बारहवीं तक, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन विद्यालयों को जिलों एवं ब्लॉक में उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जायेगा।
- 2. स्थापना:—** राज्य में 33 जिला मुख्यालयों पर और 301 ब्लॉक मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में इनकी स्थापना की जाएगी:—
 1. इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक 14.06.2019 द्वारा प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर एक विद्यालय का चयन कर "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में रूपांतरित किये जाने बाबत 33 विद्यालयों की सूची जारी की जा चुकी है। (संलग्न: परिशिष्ट-1)
 2. बिन्दु संख्या 01 में वर्णित सूची में अंकित विद्यालयों में प्रथम चरण में "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" प्रथम कक्षा से आठवीं तक के स्तर पर प्रारंभ किये जाएंगे, जिनमें प्रथम वर्ष में प्रथम से आठवीं तक कक्षाएं संचालित की जाएगी। आगामी वर्षों में क्रमशः नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा संचालित की जाएगी। इस प्रकार से स्थापना के चतुर्थ वर्ष में विद्यालय का स्तर प्रथम से बारहवीं तक का होगा।
 3. उस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नियमित नहीं रखना चाहते हों, तो उन्हें नजदीक के हिन्दी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में उसी विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
 4. इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
 5. "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सम्बद्ध रहेगा। पूर्व विद्यालय की सम्बद्धता का स्थानान्तरण नवीन विद्यालय के रूप में बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
 6. "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTE के मानकों के अनुरूप सैक्शन निर्धारित किये जायेंगे। कक्षा एक से पांच तक 30, छः से आठ में 35 एवं नवीं से बारहवीं तक 60 विद्यार्थी प्रति सैक्शन निर्धारित रहेंगे। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इसमें समय-समय पर समीक्षा उपरान्त परिवर्तन करेगी।



3. शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ के मानदण्ड:-

1. शैक्षिक स्टाफ:- (i) कक्षा एक से दसवीं तक के लिए:

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विषय	विशेष विवरण
1	प्रधानाचार्य (Principal)	1	-	विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य उच्च मा. वि. समकक्ष अधिकारी, जो कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।
2	अध्यापक लेवल-1	5	-	विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल-1 यथा सम्भव अंग्रेजी-2, गणित, पर्यावरण, हिन्दी विषय के शिक्षकों का चयन किया जाये। (सभी विषयों के अध्यापक अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जायेगी)
3	अध्यापक लेवल-2	2	अंग्रेजी, गणित	विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल-2 शिक्षक (सभी विषयों के अध्यापक अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।
4	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-2	6	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान	विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक (सभी विषयों के अध्यापक अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।
5	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	1	-	विभाग में कार्यरत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।)
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	-	विभाग में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष (अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।)
7	प्रयोगशाला सहायक	1	-	विभाग में कार्यरत प्रयोग शाला सहायक (अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।)
8	कम्प्यूटर शिक्षक	1	-	विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल-1/2 समकक्ष शिक्षक जो RSCIT/PGDCA/BCA/MCA की योग्यता धारक हों (अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।)

(ii) ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा प्रारंभ होने पर संकाय के अनुसार पांच व्याख्याताओं के पद सृजित कर स्वीकृत संकाय /विषय अनुरूप दो/तीन वरिष्ठ अध्यापकों के पद कम किये जाएंगे। सम्बन्धित विषयों के व्याख्याताओं का चयन किया जायेगा। चयन में अंग्रेजी भाषा संप्रेषण भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. गैर शैक्षिक स्टाफ:

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	वरिष्ठ सहायक	1	
2	कनिष्ठ सहायक	1	कनिष्ठ सहायक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर
3	सहायक कर्मचारी	3	

3/2/2

4. शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ का चयन:-

1. (i) "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" हेतु शिक्षा विभाग में कार्यरत दक्ष शिक्षकों (अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जायेगी) में से योग्य शिक्षकों को साक्षात्कार (Walk in Interview) लेकर चयनित किया जायेगा। उक्त विद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षक भी साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। चयनित नहीं हो पाने वाले शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित किया जा सकेगा। इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 14.06.2019 द्वारा उक्त समस्त विद्यालयों में संस्था प्रधान तथा शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से पात्र आशार्थियों के चयन हेतु आयोज्य साक्षात्कार हेतु तिथियां निर्धारित कर दी गई है। (संलग्न: परिशिष्ट-2)

(ii) अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया:

इन विद्यालयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में कक्षा प्रथम से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित की जाएगी। शेष कक्षाएं यथावत संचालित की जाती रहेंगी।

कक्षा प्रथम से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का चयन किये जाने पर अधिशेष शिक्षकों का समायोजन सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य विद्यालयों में किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। आगामी वर्षों में जैसे-जैसे अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जायेंगी, स्टाफ के चयन के कारण अधिशेष हुए वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं का समायोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यत्र किया जायेगा।

2. गैर-शैक्षिक स्टाफ का चयन भी साक्षात्कार (Walk in Interview) के माध्यम से किया जाएगा।

5. भौतिक अवसंचना (Physical Infrastructure) :-

1. विद्यालय भवन:

चयनित विद्यालय का भवन ही "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" का भवन होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा-कक्षों को गतिविधि आधारित शिक्षण (Activity Base Learning Rooms) कक्षों के रूप में रूपांतरित किया जायेगी। उपलब्ध संसाधनों की कमी की स्थिति में प्राथमिकता से कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, पेयजल सुविधा, बालक व बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय, विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर, ABL कक्षा-कक्ष, नेट कनेक्टिविटी की सुनिश्चितता, स्मार्ट क्लास, गणित-विज्ञान कक्ष आदि की उपलब्धता चरणबद्ध रूप से अग्रांकित विवरणानुसार की जायेगी ताकि विद्यालय उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित हो सके।

(i) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना में उपलब्ध कमियों (GAPS) के आधार पर प्लान तैयार किया जाकर भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।

(ii) विद्यालय भवनों का विकास राज्य सरकार की अन्य योजनाओं यथा- MLA LAD/MP LAD/MSDP/TSP/DMFT आदि के माध्यम से करवाया जायेगा तथा मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना, भामाशाहों, दानदाताओं एवं सी.एस.आर. के माध्यम से भी विद्यालय विकास करवाया जायेगा।

(iii) इस कार्य में जिला स्तर पर उपलब्ध कोष यथा- जिला समान परीक्षा, जिला खेलकूद कोष एवं सम्बन्धित विद्यालय के छात्रकोष/विकास कोष की राशि का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

32

(iv) "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में खेलकूद सुविधाओं का विकास किया जायेगा। खेल मैदान, परिसर सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य संबंधित नगर पालिका/नगर निगम के माध्यम से किया जायेगा।

2. आईसीटी:

समस्त "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में कम्प्यूटर लैब, इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी एवं कक्षा शिक्षण में आई.सी.टी. एवं स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जायेगा।

3. विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति:

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति पूर्व में पंजीकृत समिति ही रहेगी, जिसका आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया जा सकेगा।

6. मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण:- इन विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का होगा। इनके प्रबोधन, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अकादमिक सम्बलन हेतु निदेशालय में उपनिदेशक (माध्यमिक) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर उनको इसका उत्तरदायित्व दिया जायेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा इनके प्रबोधन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु ऑनलाईन एम.आई.एस. (शाला दर्पण) विकसित किया जायेगा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के साथ-साथ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" का भी परिवीक्षण, प्रबोधन एवं संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी।


जिला एवं ब्लॉक स्तर पर क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रबोधन के लिए पदेन उत्तरदायी होंगे।

7. प्रवेश प्रक्रिया:- इन विद्यालयों में प्रवेश सैक्शन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही दिया जा सकेगा। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया अपना कर किया जायेगा। उक्त विद्यालय में कक्षा-1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण हेतु इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र (संलग्न: परिशिष्ट-3) की पूर्तिकर दिनांक 27.06.2019 तक सम्बन्धित विद्यालय के कार्यालय में जमा करवाया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के नियंत्रण एवं प्रबोधन बाबत सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा द्वारा अग्रकित विवरणानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाएगी:-

- (i) उक्त विद्यालयों से सम्बन्धित समस्त प्रकार की कार्यवाही के समुचित रूप से सम्पादन हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) नोडल अधिकारी के रूप में उत्तरदायी होंगे।
- (ii) महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के रूप में रूपान्तरित विद्यालय के मौजूदा संस्था प्रधान द्वारा तत्काल प्रभाव से उक्त विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के अन्तर्गत कक्षा-1 से 8 में अध्ययन हेतु प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र (परिशिष्ट-3) प्रदान किए जाने हेतु विद्यालय समय में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी तथा उक्तानुरूप पूर्ति पश्चात आवेदन पत्र विद्यालय में प्राप्त करने एवं उनके परीक्षण की कार्यवाही भी साथ-साथ प्रारम्भ कर दी जाएगी।
- (iii) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में रूपान्तरित होने वाले महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वर्तमान में कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों में से अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थी सम्बन्धित कक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- (iv) अंग्रेजी माध्यम के उक्त विद्यालय में कक्षा-1 से 8 तक निर्धारित संख्या में विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यकतानुसार प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी कक्षा में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दिनांक 28.06.2019

को विद्यालय समय में उक्त योजना के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अति. जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) की उपस्थिति में संस्था प्रधान द्वारा लॉटरी के माध्यम से निर्धारित संख्या में विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसकी सूची उसी दिन विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- माध्यमिक द्वारा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा की ई-मेल आई.डी.: secondarydd2@gmail.com पर दिनांक 29.06.2019 तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जाएगी।

- (v) महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कक्षा-1 से 8 तक प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों का उक्त विद्यालय में नवीन नामांकन किया जाएगा तथा संस्था प्रधान उक्तानुरूप नवीन स्कॉलर रजिस्टर संधारित कर नवप्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय में पंजीयन सुनिश्चित करेंगे।
- (vi) उक्त विद्यालय में इस सत्र में कक्षा-9 व 10 अथवा 9 से 12 (माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय) में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थी यथावत रहेंगे। उक्त विद्यालय में कक्षा-1 से 8 में पूर्व प्रवेशित ऐसे विद्यार्थी, जिनका प्रवेश अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची में नहीं हो पाए अथवा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने के इच्छुक नहीं हों, ऐसे समस्त विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान कर उक्त विद्यालय के समीपवर्ती विद्यालय में जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रवेश दिलवाए जाने सम्बन्धी कार्यवाही की सुनिश्चितता हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अति. जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) द्वारा सतत पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन किया जाएगा। उक्तानुरूप 10 जुलाई तक सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- माध्यमिक द्वारा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी- उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा की ई-मेल आई.डी.: secondarydd2@gmail.com पर तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा।



(नयमल डिंडेल)
आई.एस.ए.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/म.गां./अंग्रेजी माध्यम/ 2019-20 दिनांक : 14-06-2019

रामरत जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक


विषय: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना के संबंध में।

प्रसंग: राज्य सरकार का पत्रांक 4(15)शिक्षा-1/2019 दिनांक 14.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य सरकार के प्रासंगिक स्वीकृति आदेश की पालना में संलग्न सूची के अनुसार जिला मुख्यालय के 33 राजकीय विद्यालयों को प्रथम चरण में "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में रूपान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

प्रथम चरण में "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक के स्तर पर प्रारम्भ किये जाएंगे, जिनमें प्रथम वर्ष में कक्षा प्रथम से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित की जायेगी। आगामी वर्षों में क्रमशः नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा संचालित की जायेगी। इस प्रकार से स्थापना के चतुर्थ वर्ष में विद्यालय का स्तर प्रथम से बारहवीं स्तर तक का होगा। उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नियमित नहीं रखना चाहते हों, तो उन्हें नजदीक के हिन्दी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक विद्यार्थी अपने अध्ययन को अंग्रेजी माध्यम में नियमित रख सकेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा ।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में ।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2,5,6) विभाग, जयपुर ।
7. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर ।
9. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।
11. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा ।
12. संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
14. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान ।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
16. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
17. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण/माध्यमिक अनुभाग का प्रभाग-अ-1/मा-स प्रभाग ।
18. रक्षित पत्रावली ।


14/6/19

सहायक निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने हेतु जिलेवार 33 राजकीय विद्यालयों की सूची शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रारम्भ (राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक: प.04 (15)शिक्षा-1/2019 दिनांक : 14.06.2019 की पालना में)


क. सं.	जिला	प्रस्तावित राजकीय विद्यालय का नाम जिसको महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया जाना है	परिवर्तन बाद विद्यालय का नाम
1	Ajmer	राउमावि वैशाली नगर, अजमेर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय वैशाली नगर, अजमेर
2	Alwar	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नयाबास, अलवर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास, अलवर
3	Banswara	राउमावि खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा
4	Baran	राउमावि स्टेशन रोड, बारां	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड, बारां
5	Barmer	राउमावि स्टेशन रोड, बाडमेर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड, बाडमेर
6	Bharatpur	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिविल लाईन्स, भरतपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिविल लाईन्स, भरतपुर
7	Bhilwara	राउमावि लेबर कॉलोनी, भीलवाडा	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लेबर कॉलोनी, भीलवाडा
8	Bikaner	राउमावि मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर
9	Bundi	रा. आदर्श उमावि बालचन्दपाडा, वार्ड नं. 1, बून्दी	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बालचन्दपाडा, वार्ड नं. 1, बून्दी
10	Chittorgarh	राबाउमावि स्टेशन चित्तौडगढ	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन चित्तौडगढ
11	Churu	राउप्रावि नं. 15, चूरु	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नं. 15, चूरु
12	Dausa	राउमावि रेल्वे स्टेशन, दौसा	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रेल्वे स्टेशन, दौसा
13	Dholpur	राउमावि सिटी कोतवाली, धौलपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली, धौलपुर
14	Dungarpur	राबाउमावि टाउन, डूंगरपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टाउन, डूंगरपुर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने हेतु जिलेवार 33 राजकीय विद्यालयों की सूची शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रारम्भ (राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक: प.04 (15)शिक्षा-1/2019 दिनांक : 14.06.2019 की पालना में)

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित राजकीय विद्यालय का नाम जिसको महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया जाना है	परिवर्तन बाद विद्यालय का नाम
15	Hanumangarh	रा बालिका उमावि हनुमानगढ जंक्शन	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हनुमानगढ जंक्शन, हनुमानगढ
16	Jaipur	राबाउमावि मानसरोवर, जयपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मानसरोवर, जयपुर
17	Jaisalmer	राउप्रावि इंगानप, जैसलमेर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंगानप, जैसलमेर
18	Jalore	राबाउमावि शिवाजीनगर, जालौर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शिवाजीनगर, जालौर
19	Jhalawar	राउमावि कलक्ट्री, झालावाड	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कलक्ट्री, झालावाड
20	Jhunjhunu	राउप्रावि खीदरसर, झुंझुनू	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खीदरसर, झुंझुनू
21	Jodhpur	राउमावि चैनपुरा, जोधपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चैनपुरा, जोधपुर
22	Karauli	राबामावि, करौली	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय करौली
23	Kota	राउमावि मल्टीपर्पज गुमानपुरा, कोटा	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मल्टीपर्पज गुमानपुरा, कोटा
24	Nagaur	राबाउमावि गिन्नाणी, नागौर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गिन्नाणी, नागौर
25	Pali	रामावि पुनायता, पाली	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुनायता, पाली
26	Pratapgarh	राउप्रावि पालीवाल गली, प्रतापगढ	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पालीवाल गली, प्रतापगढ
27	Rajsamand	राउमावि, राजनगर, राजसमन्द	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राजनगर, राजसमन्द
28	S. Madhopur	राउमावि साहूनगर, स.माधोपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहूनगर, स. माधोपुर
29	Sikar	रा. श्री हिन्दी विद्या भवन सैकण्डी स्कूल, सीकर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सीकर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने हेतु जिलेवार 33 राजकीय विद्यालयों की सूची शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रारम्भ (राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक: प.04 (15)शिक्षा-1/2019 दिनांक : 14.06.2019 की पालना में)

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित राजकीय विद्यालय का नाम जिसको महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया जाना है	परिवर्तन बाद विद्यालय का नाम
30	Sirohi	राउमावि नवीन भवन, सिरोही	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन भवन, सिरोही
31	Shri Ganganagar	राउमावि हरिजन बस्ती, श्री गंगानगर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हरिजन बस्ती, श्री गंगानगर
32	Tonk	राबाउमावि गुलजार बाग, टोंक	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गुलजार बाग, टोंक
33	Udaipur	राउमावि धानमण्डी, उदयपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धानमण्डी, उदयपुर


सहायक निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविस-मा/माध्य/अ-4/म. गां./अंग्रेजी माध्यम/2019-20

दिनांक:-14.06.2019

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में पदस्थापन हेतु वाक् इन इन्टरव्यू हेतु

विज्ञापित


राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 04(15)शिक्षा-1/2019 दिनांक 14.06.19 के क्रम में प्रत्येक जिला मुख्यालय अथवा अन्य स्थान पर चवसंचालित एक महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न पदों में पदस्थापन हेतु माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन कार्यरत कर्मिकों हेतु निम्नांकित विवरण अनुसार वाक् इन इन्टरव्यू आयोजित किये जाएंगे। समस्त आवेदक वाक् इन इन्टरव्यू हेतु निर्धारित तिथि को प्रातः 9.30 बजे निर्दिष्ट स्थान में अपने मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होंगे।

क्र. सं.	पद	वाक् इन इन्टरव्यू की तिथि	निर्दिष्ट स्थान	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	प्रधानाचार्य	20-21.06.2019	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर (जयपुर, अजमेर, कोटा, पाली एवं उदयपुर मंडल हेतु दिनांक 20 जून को शेष मंडल हेतु 21 जून 2019 के)	1 प्रत्येक विद्यालय हेतु	विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य उमावि समकक्ष अधिकारी जो कुशल नेतृत्व कर्ता के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता दी जायेगी।
2	वरिष्ठ अध्यापक	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 6(विषयवार एक) (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान)	वरिष्ठ अध्यापक (सभी विषयों के अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता दी जायेगी।)
3	अध्यापक लेवल-2	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 2 (विषयवार अंग्रेजी एवं गणित)	अध्यापक लेवल-2 (सभी विषयों के अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता दी जायेगी।)
4	अध्यापक लेवल-1	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 5 (विषयवार यथा सम्भव अंग्रेजी-2 गणित, पर्यावरण एवं हिन्दी)	अध्यापक लेवल-1 (सभी विषयों के अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता दी जायेगी।)
5	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 1	विभाग में कार्यरत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता दी जायेगी।)
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 1	विभाग में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष (अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता दी जायेगी।)
7	प्रयोगशाला सहायक	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 1	विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक (अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता दी जायेगी।)
8	कम्प्यूटर शिक्षक	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 1	विभाग में कार्यरत अध्यापक (लेवल-1/लेवल-2समकक्ष) जो RSCIT / PGDCA /BCA /MCA अथवा समकक्ष योग्यताधारी हों। (अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता दी जायेगी।)
9	वरिष्ठ सहायक	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 1	

10	कनिष्ठ सहायक	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 1	कनिष्ठ सहायक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर
11	सहायक कर्मचारी	26-27.06.2019	संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रत्येक विद्यालय में 1	

आवश्यक निर्देश:-

1. उक्त वाक् इन इन्टरव्यू में केवल राज्य के प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक ही आवेदन कर सकते हैं। इन्हें उक्त पदस्थापन के उपरांत कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
2. प्रधानाचार्य पद हेतु कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जिले के लिए आवेदन कर सकता है।
3. अध्यापक लेवल-2 व अध्यापक लेवल-1 के लिए उसी जिले में कार्यरत अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं।
4. वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं।
5. इन विद्यालयों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों वाक् इन इन्टरव्यू हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/अतिरिक्त अवकाश देय नहीं होगा।



निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
दीकानेर

MAHATMA GANDHI

Admission Application Form For Session: 2019-20

1. NAME OF THE STUDENT:-.....
2. FATHER'S NAME:-
3. MOTHER'S NAME:-
4. DATE OF BIRTH:-
 - In Number.....
 - In Words.....
5. AGE AS ON THE DATE OF ADMISSIONYEAR MONTH DAY.
6. RELIGION:-.....
7. CATEGORY:-.....(GEN/ OBC/ MBC/SC/ST/EBC)
8. GENDER:-.....(MALE/ FEMALE/ TRANSGENDER)
9. RESIDENTIAL ADDRESS (LOCAL)
10. RESIDENTIAL ADDRESS (PERMANENT)
11. PARENTS CONTACT NUMBER:- 1. 2..... 3.....
12. EMAIL ID:-
13. OCCUPATION OF FATHER / MOTHER.....
14. MONTHLY INCOME OF FATHER / MOTHER
15. NAME AND ADDRESS OF GUARDIAN (IF ANY)
16. STUDENT'S ADHAR CARD NO.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17. CWSN STATUS :- (YES/NO)
(CWSN- CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS)
IF YES: TYPE OF DISABILITY.....
18. CO-CURRICULAR ACTIVITIES:..... (NONE/NCC/SCOUT/GUIDE/NSS/CUB/BULBUL)
19. SPORTS CERTIFICATE:-..... (NATIONAL/ STATE LEVEL/DISTRICT LEVEL)
20. STUDENT'S BANK ACCOUNT DETAIL :-
 - NAME OF BANK.....BRANCH.....
 - ACCOUNT NUMBERIFSC CODE
21. CLASS TO WHICH ADMISSION IS SOUGHT: -
22. THIRD LANGUAGE (CLASS 6TH TO 8TH):-.....

COLOUR
PHOTO
SIZE
3.5 C.M.
X
2.5 C.M.

23. DETAIL OF LAST SCHOOL/CLASS STUDIED

- NAME OF THE SCHOOL
- WHETHER IT IS GOVT. /KV/JNV/RECOGNIZED PRIVATE.....
(YES/NO)
- FORMER SCHOOL'S S.R. NUMBER:-.....SHALA DARPAN CODE (ONLY FOR GOVT.SCHOOLS):.....
- FORMER SCHOOL'S LAST CLASS:-.....
- LAST CLASS RESULT:(PASS / FAIL/ STUDYING)

ENCLOSURES:

1.
2.
3.
4.
5.

DECLARATION BY THE PARENT

I HEREBY DECLARE THAT THE ABOVE INFORMATION FURNISHED BY ME IS CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE. I SHALL BE ABIDED BY THE RULES OF SCHOOL ALSO. THE DATE AND OTHER PARTICULARS FURNISHED BY ME IN RESPECT TO MY WARD ARE CORRECT.

DATE

SINGNATURE OF PARENT

FOR OFFICE USE ONLY

1. CERTIFIED THAT I HAVE CHECKED THE APPLICATION FORM AND RELEVANT DOCUMENTS ARE FOUND IN ORDER.
2. PLEASE ADMIT TO CLASS SECTION.....
3. ALLOTTED S.R. NO.....

SINGNATURE OF ADMISSION INCHARGE

SINGNATURE OF CLASS TEACHER

SINGNATURE OF PRINCIPAL

कार्यालय- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/माध्य/म.गां./अंग्रेजी माध्यम/2019-20

दिनांक:- 16-06-2019

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान।

विषय:- प्रत्येक जिला मुख्यालय पर "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" की स्थापना उपरान्त विभिन्न पदों हेतु पात्र आशार्थियों के चयन बाबत।


प्रसंग:- इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक विज्ञापित दिनांक: 14.06.2019.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय निर्देश क्रमांक: प.04(15)शिक्षा-1 / 2019, जयपुर दिनांक: 14.06.2019 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक: 14.06.2019 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक विद्यालय को "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में रूपान्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मौजूदा सत्र: 2019-20 में ही उक्त विद्यालयों में कक्षा-1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रासंगिक विज्ञापित द्वारा आगामी दिनांक 26-27 जून, 2019 को उक्त विद्यालयों के विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन कार्यरत कार्मिकों हेतु सम्बन्धित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथियां निर्धारित की गई है। जिला स्तरीय चयन समिति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम अधिकारी	चयन समिति में दायित्व
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।	अध्यक्ष
2	प्रतिनिधि राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।	सदस्य
3	प्रतिनिधि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।	सदस्य
4	प्रधानाचार्य, सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।	सदस्य
5	प्रधानाचार्य, सम्बन्धित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय।	सदस्य
6	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक।	सदस्य सचिव

संलग्न प्रेषित विज्ञापित के अनुरूप निर्धारित तिथियों में वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किए जाने तथा सम्बन्धित नामित अधिकारियों को चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेते हुए समुचित दायित्व निर्वहन हेतु एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है। जिन जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला मुख्यालय से अन्य स्थान पर अवस्थित है, वहां साक्षात्कार स्थल के चयन हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुख्यालय पर किसी सुविधाजनक स्थान का चयन करने हेतु अधिकृत होंगे, जिसका समुचित प्रचार - प्रसार समाचार पत्रों में समाचार/विज्ञापित प्रकाशित कर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न:-यथोक्त।



(नयमल डिंडेल)


आई.एस.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को जिला स्तरीय चयन समितियों में प्रतिनिधि नामित करने हेतु।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
7. संयुक्त निदेशक - कार्मिक/प्रशिक्षण, कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
10. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
11. संस्था प्रधान, सम्बन्धित विद्यालय।
12. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/माध्य/म.गां./अंग्रेजी माध्यम/2019-20


दिनांक:- 16-06-2019

-: सूचना :-

शासकीय निर्देश क्रमांक: प.04(15)शिक्षा-1/2019, जयपुर दिनांक: 14.06.2019 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक: 14.06.2019 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक विद्यालय को "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में रूपान्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मौजूदा सत्र: 2019-20 में ही उक्त विद्यालयों में कक्षा-1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारम्भ किए जाने हेतु शासकीय स्वीकृति दिनांक: 14.06.2019 द्वारा उक्त विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में पदस्थापन के लिए प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष पद पर माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मिकों में से चयन हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में एतद द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है:-

क्र.सं.	पदनाम अधिकारी	चयन समिति में दायित्व
1	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि।	सदस्य
3	आयुक्त, राजस्थान स्कूल परिषद, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि।	सदस्य
4	राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर। या प्रतिनिधि	सदस्य
5	उप निदेशक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।	सदस्य सचिव

उपर्युक्त क्रम में नामित चयन समिति सदस्यों को दिनांक 20-21 जून, 2019 को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय कक्ष में आयोजित वॉक-इन-इंटरव्यू में दायित्व निर्वहन हेतु आमंत्रित किया जाता है।



(नथमल डिंडेल)


आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर को चयन समिति हेतु प्रतिनिधि नामित करने हेतु।
3. आयुक्त महोदय, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर को चयन समिति हेतु प्रतिनिधि नामित करने हेतु।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को नियत दिवस पर चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक - कार्मिक, कार्यालय हाजा।
8. उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर